

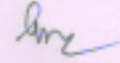
Recommendation

(सांकई टोला भाग-II , रकबा-150.000 हे०, कक्ष क्रं.-पी.एफ. 141,142)

01	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट :- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरित प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बावत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है, तो उन शर्तों का बयौरा दिया जावे।	उक्त प्रस्तावित वन क्षेत्र का छत्र घनत्व 0.4 से 0.6 है। इसमें किसी संकटग्रस्त वन्यप्राणी का रहवास नहीं है। उक्त वनभाग को विस्थापन से संरक्षित क्षेत्र में काफी क्षेत्र वन्यप्राणी रहवास के रूप में उपलब्ध होगा। अतः उक्त व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

दिनांक :-23.11.2016

स्थान :- होशंगाबाद



(आनंद कुमार सिंह)

वन संरक्षक वन मण्डलाधिकारी

वनमंडल (होशंगाबाद) (होशंगाबाद)